सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 62 राँची , बुधवार

15 माघ 1936 (श०)

4 फरवरी, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी, 2015

संख्या-4/न0वि0/विविध/191/2014-.-249-- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा **SLP No.**-14926/2006 टाटा स्टील लिमिटेड बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य से उद्भूत **SLA No.**-464/2008 टाटा स्टील लिमिटेड बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-02 सितम्बर,2014 को पारित आदेश के आलोक में जमशेदपुर शहर को औद्योगिक नगरी के रूप में घोषित किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

विभागीय पत्रांक-4467, दिनांक-11 अगस्त, 2012 द्वारा जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने के बिन्दु पर निम्नांकित तीन शर्तो पर टाटा प्रबंधन से जवाब मांगा गया थाः-

1. टाटा कम्पनी मामले उच्चतम न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 को वापस ले।
2. वैसी बसावटे जो पूर्व में टाटा लीज क्षेत्र में रही है उन्हें सब-लीज में पुनः शामिल करते हुए उनको सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी सहमत हो ।
3. औद्योगिक नगरी के लिए गठित पर्षद में सरकार का उचित प्रतिनिधित्व हो ।

उपर्युक्त कंडिका-2 पर टाटा स्टील प्रबंधन द्वारा इस बात को प्रकाश में लाया गया है कि टाटा प्रबंधन के अधिकारिता क्षेत्र में पूर्व से ही मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है । वैसी बसावटे जो टाटा प्रबंधन के लीज से बाहर है एवं अतिक्रमित है, उसे टाटा लीज में पुनः शामिल करने से संबंधित **Modality** तय करने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त के आलोक में टाटा प्रबंधन के लीज के बाहर की भूमि को पुनः लीज में शामिल करने के बिन्दु पर **Modality** तय करने के लिए विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति निम्न रूपेण गठित किया जाता हैः-

(i) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार - अध्यक्ष
(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य सचिव
(iv) सचिव, विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य
(v) महाधिवक्ता, झारखण्ड सरकार - सदस्य
(vi) आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल - सदस्य
(v) उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर - सदस्य
(vi) टाटा स्टील प्रबंधन के प्रतिनिधि - सदस्य

उपर्यक्त समिति वैसी बसावटे जो टाटा प्रबंधन के लीज से बाहर है एवं अतिक्रमित है, इस संबंध में **Modality** तय कर अपना प्रतिवेदन एक पखवारे में सरकार को समर्पित करेंगे ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 62—50+300 ।